POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 06.04.2026

1. थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी, चोरी के वाहन की बिक्री से प्राप्त ₹2,00,00/- नकद व चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण बरामद।

कार्यवाही का विवरण- दिनांक **06.04.2026** को **थाना सेक्टर-58 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त राहुल उर्फ अतुल उर्फ मोनू पुत्र जबर सिंह को जुबलियेंट पार्क के पास सेक्टर-58 से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी रजि0नं0- UP14FN6765 संबंधित मु0अ0सं0 36/2026 थाना कौशाम्बी गाजियाबाद, चोरी के वाहन की बिक्री से प्राप्त ₹2,00,00/- नकद, चोरी किए गए वाहनों की नम्बर प्लेट (DL1LAD1757, DL1LAH2219, DL1LAM7977) व चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए हैं।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त राहुल उर्फ अतुल उर्फ मोनू द्वारा बताया गया कि वह अपने साथियों आरिफ एवं अजहर (जिला भरतपुर, राजस्थान) के साथ मिलकर पिकअप एवं अन्य बड़ी गाड़ियों की चोरी करता है। चोरी की गई गाड़ियों को वह अपने साथियों को सौंप देता था, जो आगे उन्हें बेचते थे। अभियुक्त ने बताया कि गाड़ियों की नंबर प्लेटें निकलवा दी जाती थीं, जिनमें से कुछ नंबर प्लेटें उसकी स्कूटी की डिग्गी से बरामद हुई हैं।

अभियुक्त ने यह भी बताया किया कि उसने सेक्टर-62 एवं सेक्टर-59, नोएडा से एक पिकअप एवं एक आयशर कैंटर तथा सेक्टर-57, नोएडा से एक अन्य पिकअप चोरी की थी, जिन्हें क्रमशः अपने साथी आरिफ एवं अजहर को बेचने हेतु दिया गया था। इसके अतिरिक्त, उसने सेक्टर-22 क्षेत्र से भी एक पिकअप चोरी कर अजहर को सौंपने की बात स्वीकार की। चोरी की वारदातों में वह वाहनों के लॉक तोड़ने तथा सेल्फ वायर जोड़कर गाड़ी स्टार्ट करने हेतु एलेन की, बोल्ट खोलने वाली चाबी, पेचकस एवं लम्बी नोक वाला प्लास जैसे औजारों का प्रयोग करता था, जो उसके कब्जे से बरामद हुए हैं। बरामद 16,000 रुपये के संबंध में उसने बताया कि यह राशि पूर्व में चोरी की गई गाड़ियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि का शेष भाग है। इसके अतिरिक्त, उसके पास से 4,000 रुपये भी बरामद हुए, जो सेक्टर-22 से चोरी की गई पिकअप की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से बचे हुए थे। अभियुक्त द्वारा बताए गए घटनाक्रम के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में संबंधित वाहनों की चोरी के मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें थाना कौशाम्बी, गाजियाबाद (मु0अ0सं0 36/26), थाना सेक्टर-58 (मु0अ0सं0- 15/2026, 38/2026, एवं 87/2026), थाना सेक्टर-24 (मु0अ0सं0 144/26) तथा अन्य संबंधित प्रकरण सम्मिलित हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- राहुल उर्फ अतुल उर्फ मोनू पुत्र जबर सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर, थाना सलेमपुर, बुलन्दशहर, वर्तमान पता छपरौला, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1- मु0अ0सं0-036/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कौशाम्बी, गाजियाबाद।

2- मु0अ0सं0-038/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।

3- मु0अ0सं0-015/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।

4- मु0अ0सं0-087/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।

5- मु0अ0सं0-144/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।

6- मु0अ0सं0-500/2022 धारा 380 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

7- मु0अ0सं0-558/2022 धारा 379 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

8- मु0अ0सं0-588/2022 धारा 379 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

9- मु0अ0सं0-029/2023 धारा 379 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

10- मु0अ0सं0-040/2023 धारा 379 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

11- मु0अ0सं0-067/2023 धारा 379 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

12- मु0अ0सं0-075/2023 धारा 307, 398, 401, 414, 420, 467, 468, 471, 482 भादवि व 25/3/4 आर्म्स एक्ट थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

13- मु0अ0सं0-098/2023 धारा 379 भादवि थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

14- मु0अ0सं0-286/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

15- मु0अ0सं0-497/2020 धारा 414 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

16- मु0अ0सं0-498/2020 धारा 25/3 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

17- मु0अ0सं0-513/2022 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।

18- मु0अ0सं0-489/2020 धारा 379, 411 भादवि थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- चोरी की 01 स्कूटी रजि0नं0- UP14FN6765 संबंधित मु0अ0सं0 36/2026 थाना कौशाम्बी गाजियाबाद।

2- चोरी के वाहन की बिक्री से प्राप्त ₹2,00,00/- नकद।

3- चोरी किए गए वाहनों की नम्बर प्लेट-

- DL1LAD1757- मु0अ0सं0-015/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-58
- DL1LAH2219- मु0अ0सं0-038/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-58
- DL1LAM7977- मु0अ0सं0-144/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-24

4- चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण -एलेन की, बोल्ट खोलने वाली चाबी, पेचकस एवं लम्बी नोक वाला प्लास ।